प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊःदिनांक-21 मई, 2010**

विषयः- घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार आजमगढ़ को शहर से बाहर स्थानान्तरित किए जाने हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7263/नम-4/(44) दिनांक-16.02.2010 एवं पत्र संख्या-15070/नम-4 दिनांक-17.05.2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1295/22-4-2009-48(70)/94 टी0सी0-3 दिनांक-21.07.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार आजमगढ़ को शहर से बाहर स्थानान्तरित किए जाने हेतु ग्राम इटरौरा, परगना निजामाबाद, तहसील सदर जिला आजमगढ़ में काश्तकारों की अर्जित की जाने वाली 40.099 एकड़ भूमि के लिए आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार प्रतिकर के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल रु0-61,36,123.00 (रुपये-इकसठ लाख छत्तीस हजार एक सौ तेईस मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-1183/दस-2010 दिनांक-20 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-1104(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।